ड्रॉफ्ट

खूँटी जलापूर्ति योजना हेतु एस टी पी पी

खूँटी जलापूर्ति के लिए अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लि0)

झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जे एम् डी पी)

दिसम्बर,2017

विषय–सूची

1.	परिचयः	3
2.	अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू नीतियां एवं विनियम	4
3.	अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना (एसटीपीपी) की आवष्यकता	5
4.	वन अधिकार धारकों और परियोजना के लिए एनसीसी की सहमति	6
5.	निःशुल्क, पूर्वगामी और सूचनात्मक परामर्ष	7
6.	कार्यान्वयन के दौरान सूचना प्रकटीकरण एवं परामर्ष	7
7.	शिकायत निपटारा प्रणाली	8
8.	पुर्नस्थापन प्रभाव को संबोधित करने के लिए संस्थागत व्यवस्थाएं	10
9.	अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन व्यवस्थाएं	11
10.	कार्यान्वयन अनुसूची	11
11.	अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन	12
अनुलग्नक	I - संरेखण के साथ खूँटी का मानचित्र	13
अनुलग्नक	II . बिरूहु ग्राम में ग्राम सभा दिनांक 13.06.2017	14
अनुलग्नक	III . टाउन वाटर सप्लाई की कार्यवाही 09.10.2017	17
अनुलग्नक	IV . खूँटी जल आपूर्ति वन एनओसी	18

1. परिचय :–

1. नगर विकास एवं आवास विभाग (यूडीएचडी), झारखंड सरकार ने शहरी सेवाएं प्रदान करने एवं चयनित शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में शहरी प्रबंधन क्षमता में सुधार के उद्देष्य से झारखण्ड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (जे एम् डी पी) तैयार की है। जेएमडीपी झारखंड के जिलों में कई उप–परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन पर जोर देता है। झारखंड सरकार ने झारखंड शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जूडको लिमिटेड) की पहचान की है जो जेएमडीपी को क्रियान्वयन करने के लिए प्रथमिक कार्यन्वयन एजेंसी है। झारखंड सरकार जेएमडीपी की लागत के लिए विष्व बैंक से वित्तीय सहायता की मांग की है।

2. जुडको द्वारा जेएमडीपी के लिए एक पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन फ्रेमवर्क (ईएसएमएफ) एवं पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) निम्नलिखित उद्देष्यों के साथ तैयार किया गया है:

क) कार्यान्वयन एवं पूरे परियोजना चक्र के दौरान आने वाले संभावित पर्यावरणीय और सामाजिक जोखिमों और प्रभावों का आलकलन और प्रबंधन करना

ख) निवेष की सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्थिरता सुनिष्चित करने के लिए

ग) राष्ट्रीय प्यावरण और सामाजिक कानून के अनुपालन को सुनिष्चित करना

3. खूँटी नगर पंचायत में खूँटी जल आपूर्ति योजना जेएमडीपी के तहत क्रियान्वित होने वाले उप–परियोजनाओं में से एक है और इस दस्तावेज को इस उप–परियोजना के ईएसआईए के साथ जारी रखने के लिए तैयार किया गया है।

4. इस परियोजना में मौजूदा इनटेक वेल परियोजना के लिए पानी के श्रोत के रूप में सहायक होगी। 500 मीमी पाईप के साथ मौजूदा 300 मीमी पाईप को बदलने की क्षमता बढ़ा दी जाएगी। प्रस्तावित जल उपचार संयंत्र (डब्ल्यूटीपी) की एक नई 16 एमएलडी क्षमता विकसित की जाएगी और इसे 4 उन्नत भंडारण जलाषयों (ईएसआर) (3 नई और 1 मौजूद) से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत 122. 003 किमी नई वितरण पाईपलाइन को 100 प्रतिषत मीटर वाले कनेक्षन की आपूर्ति के लिए रखा जाएगा।

2. अनुसूचित जनजातियों के लिए लागू नीतियां एवं विनियमः–

5. एसटी के लिए लागू नीतियां नीचे सूचीबद्ध हैं:

क) भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम–2013 (आरएफसीटीएलआरआर अधिनियम, 2013) में उचित मुआवजा और पारदर्षिता का अधिकार।

ख) झारखंड भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नस्थापन नियम–2015 में उचित मुआवजा और पारदर्षिता का अधिकार।

ग) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पीईएसए एक्ट 1996)

घ) छोटा नागपुर काष्तकारी अधिनियम, 1908। (सीएनटी अधिनियम, 1908)

ड.) संथाल परगना काष्तकारी (अनुपूरक प्रावधान) अधिनियम, 1949। (एसपीटी अधिनियम, 1949)

च) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अनिनियम

छ) मूल निवासियों पर विष्व बैंक परिचालनात्मक नीति 4.10।

भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम, 2013 में न्याय–संगत मुआवजा एवं पारदर्षिता का अधिकार

6. भूमि अधिग्रहण, पुर्नवास और पुर्नस्थापन अधिनियम, 2013 में अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण के लिए न्याय–संगत मुआवजा और पारदर्षिता के अधिकार हेतु ग्राम सभा का पूर्व सहमति लेना आवष्यक बताया गया है जहां इस तरह के अधिग्रहण करना अंतिम विकल्प हो। इस अधिनियम के धारा 43 से 50 में पुर्नवास और पुर्नस्थापन को कानून के भाग के रूप में प्रावधानित किया गया है जो अनुसूचित जनजातियों को विषिष्ट सुरक्षा प्रदान करती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006

7. यह अधिनियम अनुसूचित जनजातियों के वन क्षेत्र में निवास एवं वनभूमि पर व्यवसाय करने का अधिकार देता है एवं अन्य पारंपरिक वनवासियों जो पीढ़ी दर पीढ़ी इस तरह के वनों में रहते आये हैं लेकिन उनके अधिकारों को दर्ज नहीं किया जा सका है। यह अधिनियम निहित वन अधिकारों के लिए एक रूपरेखा प्रदान करता है तथा वन भूमि के संबंध में ऐसे मान्यता और निषेध के लिए आवष्यक साक्ष्य प्रस्तुत करता है।

पंचायत विस्तार से अनुसूचित क्षेत्र (पीईएसए) अधिनियम

8. 73 वें एवं 74 वें संवैधानिक (1992 के संषोधन) जो पीआरआई के विषेषश्षक्तियों को समायोजित करते हैं, बाद में अनुसूचित क्षेत्रों में अलग–अलग प्रावधानों के साथ–साथ 1996 के पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार) अधिनियम के साथ विस्तारित किया गया था। ष्षक्ति और समर्थन के साथ पीईएसए अधिनियम, 1996, जिला और ग्राम स्तर पर पीआरआई निकायों को अपने स्वयं के विकास में जनजाति लोगों की प्रभावी भागीदारी सुनिष्चित करने के लिए विषेष कार्यात्मक षक्तियां और जिम्मेदारियां निहित कर दी गई हैं। यह प्राकृतिक संसाधनों पर पारंपरिक अधिकारों को संरक्षित और सुरक्षित करने में भी मदद करता है।

3. अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना (एसटीपीपी) की आवष्यकता

9. पर्यावरण एवं सामाजिक प्रभाव आकलन (ईएसआईए) संभावित प्रभावों का आकलन करने एवं इनसे बचने या कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए किया गया है। परियोजना के लिए कोई भूमि अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। लगभग 1650 मीटर की पाइपलाइन को उन्नत किया जाएगा और 130.758 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। नवनिर्मित पाइप आरओडब्ल्यू के भीतर होगा और भूमि की प्रकृति में कोई बदलाव नहीं होगा। इस परियोजना में सड़क के रास्ते आरओडब्ल्यू में स्थित दो गैर–रैयतों का दो ढांचों का नुकसान शामिल है। पाइप बिछाने के समय भी 35 सड़क विक्रेताओं के लिए अस्थायी रूप से आय का नुकसान होने की संभावना है। ईएसएमएफ वर्गीकरण निर्धारण मानदंडों के अनुसार खूँटी जल आपूर्ति परियोजना को एस–2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है एवं एक पृथक सवंर्धित पुर्नवसन कार्य योजना (एआरएपी) तैयार किया गया है।

10. यद्यपि अनिवार्य भूमि–अधिग्रहण की कोई आवष्यकता नहीं है, रॉ वाटर मेन के निर्माण में मुख्य रूप से खूँटी नगर पंचायत के अंतर्गत बिरू थाना गांव में वन क्षेत्र के भीतर काम करना शामिल होगा, यह सुनिष्चित करने के लिए कि वन अधिकार धारक परियोजना का समर्थन करते हैं और उनके हितों को पूरे

परियोजना चक्र में संरक्षित किया जाता है, यह अनुसूचित जनजाति भागीदारी योजना (एसटीपीपी) इस तरह से तैयार की गई है ताकि विष्व बैंक नीति एवं भारत के अधिकार अधिनियम 2006 का पालन किया जा सके।

4. वन अधिकार पटट्ाधारकों की सहमति एवं परियोजना के लिए अनापति प्रमाण पत्र

11. परियोजना के रॉ वाटर मेन पाइप लाइन का कुछ हिस्सा जनजाति और वन भूमि को पार करेगा। यह भारत के संविधान के पाचवें अनुसूची के तहत एक अधिसूचित क्षेत्र भी है जो इन क्षेत्रों में रहने वाले लागों के अधिकारों के लिए संरक्षण प्रदान करता है। 300 मिमी की मौजूदा रॉ वाटर मेन की पाइपलाइन को 500 मिमी पाइपलाइन द्वारा प्रतिस्थापित करने की आवष्कता होगी। 233 मीटर की पाइप लाइन का मौजूदा संरेखण वन भूमि पर स्थित है (जिसके लिए 0.02 हेक्टेयर क्षेत्र का उपयोग किया जाएगा) जो बिरू थाना, खूँटी में आते हैं। एफआरए अधिनियम 2006 के तहत कुछ लाभार्थियों को इस्तेमाल करने के लिए इस वन भूमि को आबंटित किया गया है, रॉ वाटर मेन की पाइप लाइन बिछाने के लिए 0.0235 हेक्टेयर वन भूमि के लिए अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत कोई अनापत्ति प्रमाण पत्र मंडलीय वन कार्यालय से प्राप्त नहीं किया गया है।

12. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वर्तमान में संबंधित जनजाति और वन भूमि पर किसी भी तरह का कृषि सम्बन्धी गतिविधि एवं बसावट नहीं है। इसके अलावा इन पाइपों को बदले जाने की स्थिति में किसी भी तरह के भूमि का विपथन/स्थानांतरण नहीं है। यद्यपि, संबंधित भूमि के आसपास रहने वाली जनजातीय आबादी को यथोचित रूप से सूचित कर परामर्ष किया गया जिन्होंने परियोजना के लिए अपनी सहमति दे दी है।

13. इसके अतिरिक्त प्लॉट नं0 3914 एक निजी भूमि है जहां से रॉ वाटर मेन की पाइप लाइन गुजर रही है। भू–स्वामी को भूमि बेचने, भूमि के उपयोग को बदलने और मौजूदा जमीन पर कुछ भी बनाने का अधिकार है। इसलिए भविष्य में ऐसे किसी भी मुद्दे से बचने के लिए और पाईपलाइन बिछाने के लिए जरूरी जमीन रखने, रखरखाव और अन्य कार्य करने के लिए भू–स्वामियों के साथ एक कानूनी समझौता प्रक्रिया में है।

14. चूंकि यह सरकारी कानूनी रूप से नामित संरक्षित वन है, इएसएमपी निकासी में दिए गए सभी सिफारिषों का पालन करेगा, संगत अधिनियम के तहत किसी भी वृक्ष को नहीं काटने की सहमति वहां रहने वाले समुदायों की आम सभा की बैठक में ले ली गयी है। ईएसएमपी में संवेदक के लिए सभी तरह के एहतियाती कदम उठाने, संवेदनषील क्षेत्रों को नुकसान/परेषान न करने या किसी भी तरह के प्रभावों से बचने आदि को निदृष्ट किया गया है। यह एसटीपीपी परियोजना के पूर्व एवं योजना के कार्यान्वयन के दौरान स्थानीय जनजातीय समुदाय एवं वनवासियों को शामिल कर तैयार किया गया है।

5. निःषुल्क, पूर्व और सूचनात्मक परामर्ष

15. वनभूमि आवंटियों से परामर्ष लेने हेतु नियोजन के पूर्व चरण में हितधारकों के साथ परामर्ष किया गया जिमें वन विभाग द्वारा आवंटित भू–खंड से अपरिष्कृत पानी के पाइप को बदलने के लिए उनकी सहमति ली गयी।

16. रॉ वॉटर मेन संरेखण के साथ वन–भूमि और अन्य भू–खंड को बंदोबस्ती के अंतर्गत (षनीवार राम पिता– आहलाद राम, दषरथ चमार पिता–छबू चमार, साहदेव महतो पिता– लक्ष्मण महतो) आवंटित किया गया है। बंदोबस्ती एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत विषेष उपयोग जैसे कृषि, चारागाह एवं गैर–ईमारती वन उत्पाद के लिए लाभार्थियों को वन–भूमि का अधिकार दिया जाता है। इस अधिकार के तहत लाभार्थी जमीन का उपयोग उस उद्देष्य के लिए कर सकता है, जिसके लिए भूमि अधिकार आवंटित कर दिया गया है, लेकिन वास्तविक स्वामित्व अब भी वन विभाग के पास रहता है। चूँकि वास्तविक स्वामित्व अभी भी वन विभाग के साथ रहेगा इसलिए संबंधित वन अधिकार पटट्ाधारकों के साथ भूमि के हस्तांतरण के लिए किसी भी कानूनी समझौते पर हस्ताक्षर करने की कोई आवष्यकता नहीं है, केवल सहमति एवं प्रयोजन को संबोधित किया जाना चाहिए।

17. सहमति एवं प्रयोजन को जनने के लिए और रॉ वाटर मेन के संरेखण के साथ वास्तविक लाभार्थियों/वन अधिकार धारकों से सहमति लेने के लिए 03.06.2017 एवं 13.06.2017 को उपाध्यक्ष, नगर पंचायत की अध्यक्षता में एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा की कार्यवाही एवं वन विभाग से प्राप्त एनओसी (अनापत्ति प्रमाण–पत्र) संलग्न है।

18. सभी वास्तविक लाभार्थियों से संपर्क कर आम सभा की बैठक बुलाई गयी जिसमें लाभार्थिओं के उनके विचार लिए। सभी लाभार्थियों ने पाइपलाइन बिछाने के लिए अपनी सहमति दी है। यद्यपि आवंटित भू–खंड का उपयोग वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, परन्तु उनलागों का एक मुद्दा यह है कि पाइप को भूमिगत बिछाया जाय ताकि भविष्य में वे खेती कर सकें।

19. इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि पूरे रॉ वॉटर मेन पाइपलाइन भूमिगत बिछाई जाएगी जिसके अनुसार डिजाइन को संसोधित किया गया हैं। निर्माण गतिविधियों की शुरूआत से पहले कार्यान्वयन स्तर पर परामर्ष आयोजित किया जाएगा जिससे संबंधित लोगों को परियोजना की शुरूआत और समापन तिथि, परियोजना के लाभ और षिकायत प्रणाली के बारे में सूचित किया सके।

6. कार्यान्वयन के दौरान सूचना प्रकटीकरण एवं परामर्ष

अ) सूचना प्रकटीकरण

20. सूचना के लिए इसका प्रसार विभिन्न तरीकों से किया जाएगा, उदाहरण के लिए विवरण सामग्री तैयार करना, सामुदायिक परामर्ष सत्र आयोजित करना जो रॉ वाटर मेन की संरेखण के किनारे रहने वाले एवं सभी के लिए सुलभ होगा। कोई विवरण सामग्री (सभी को हिंदी में तैयार किया जाना) जो इस रूप में हो सकता है:

क) विवरणिका (परियोजना की जानकारी, परियोजना लाभ, प्रतिकूल प्रभाव, मुआवजे सहित पीएआईपी को दिए जाने वाले सहायता और सहायता सहित), और षिकायत तंत्र को पीआईयू, खूँटी नगर पंचायत तथा बिरहू गांव में रखा जाएगा।

ख) बिरूहु गांव में इन्टेक वेल के पास पोस्टर प्रदर्षित किया जाना; तथा

ग) रॉ वाटर मेन के संरेखण के किनारे रहेने वाले संबंधित परिवारों को पत्रक का वितरण किया जा सकता है।

21. पीआईयू के सामाजिक विषेषज्ञ द्वारा एक निष्चित अंतरालों पर परामर्ष बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि संबंधित बीरू गांवों को निम्नलिखित चीजों से परिचित कराया जा सके:

क) समयसीमा एवं परियोजना की प्रगति

ख) लाभ/प्रतिकूल प्रभावों पर जानकारी; मुआवजा और पात्रताएं

ग) निर्माण अनुसूची

22. यह ड्राफ्ट एसटीपीपी इसकी प्रकटीकरण आवष्यकता के भाग के रूप में जनता को आरटीआई अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा। विष्व बैंक के अनुमोदन के बाद एसटीपीपी का मसौदा जुडको (www.juidco.jharkhand.gov.in) के साथ–साथ खूँटी नगर पंचायत कार्यालय में हितधारकों से प्रतिपुष्टि एवं टिप्पणियों प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है। टिप्पणियों, यदि कोई हो तो, को समावेष कर संषोधित एसटीपीपी को फिर से अनावृत किया जाएगा। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान एसटीपीपी जुडको एवं खूँटी वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। परियोजना अवधि के दौरान एस टी पी पी की हार्ड कॉपी (हिंदी में) खूँटी जिला दंडाधिकारी कार्यालय, खूँट नगर पंचायत, पीआईयू एवं संवेदकों को भी उपलब्ध होनी चाहिए। एसटीपीपी को विष्व बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करया जाएगा।

7. शिकायत निपटारा प्रणाली

23. राज्य एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर जीआरसी की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देष्य कार्यान्वयन के दौरान परियोजनाओं के पर्यावरण और सामाजिक पहलुओं पर प्रभावित समुदायों की चिंताओं, पूछताछ और षिकायतों को प्राप्त करना एवं उन्हें हल करना आदि शामिल है, साथ ही साथ परियोजना के एक बार क्रियान्वयन होने की स्थिति में सामाजिक समन्वय और एकीकरण से संबंधित अन्य सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया जायेगा। जुडको के जीआरएम पर सूचना के सम्प्रेषण हेतु कुछ साधन निम्नलिखित रूप से हैं:

- सार्वजनिक स्थानों पर पत्रक का वितरण
- नोटिस बोर्ड (सूचना पटट्)
- जुडको की वेबसाइट
- दूरसंचार उपकरण

24. जीआर समिति का गठन: उप परियोजना निदेषक (जुडको, पीएमयू) यह सुनिष्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि प्रत्येक उप परियोजना का बहुआयामी स्तर पर जीआरएम स्थापित हो जो उप–परियोजना की गतिविधियों से संबंधित सभी तरह के षिकायतों का पिटारा कर सके। जीआरएम दूसरे

स्तर पर कार्य करेगाः सामुदायिक स्तर पर जहाँ मुद्दों को हल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा; तथा उप–परियोजना स्तर पर जहां एक जीआरसी की स्थापना की जाएगी जो राज्य स्तर पर एक अपील तंत्र के रूप में होगा। उप–परियोजना स्तर पर जीआरसी का गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया जाएगा।

- शहरी स्थानीय निकाय/क्रियान्वयन एजेंसी से एक
- कोई भी निर्वाचित प्रतिनिधि (स्थानीय परियोजना क्षेत्र, प्राथमिकताः– महिला)
- महिला समख्या/महिला मंडल जैसे महिलाओं के एक समुदाय आधारित समूह का प्रतिनिधि
- एक व्यक्ति जो सार्वजनिक रूप से जाना जाता हो और जो स्थानीय लोगों द्वारा (परियोजना क्षेत्र में) उनकी ओर से बोलने के लिए स्वीकार्य हो (बिरहु ग्राम पंचायत प्रमूख द्वारा पहचाना जाने वाला)।
- पीआईयू से सामाजिक विषेषज्ञ
- चिकित्सा पदाधिकारी
- श्रम कल्याण विभाग के संबंधित विभाग के पदाधिकारी
- निकाय स्तर पर समुदाय समन्वयक या मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के प्रतिनिधि

25. **जीआरसी की कार्यप्रणालीः** वन भूमि या प्रभावित समुदाय के आबंटियों को षिकायत के दायरा को स्पष्ट करना होगा। जीआरसी केवल उन षिकायतों पर विचार करेगी जो रख–रखाव अवधि के दौरान आजीविका या संपत्ति/उपभोक्ता सेवाओं के नुकसान या पहुंच के सीमा बंधन, श्रमिक समुदाय विवाद, निर्माण स्थल प्रबंधन और सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली निर्माण गतिविधियों से संबंधित होगा। भ्रष्टाचार से संबंधित षिकायतों को केवल झारखंड के भ्रष्टाचार निरोधी कानूनों के तहत ही पेष किया जाएगा।

26. वनवासी या वन भूमि (या उसके प्रतिनिधि) आवंटी अपनी षिकायत लिखित पत्र, फोन या जीआरसी को ई मेल द्वारा कर सकते हैं या वैकल्पिक रूप से अपनी आवाज परियोजना कर्मियों के साथ सार्वजनिक रू‍प से या व्यक्तिगत बैठक में उठा सकते हैं। स्थानीय भाषा में एक बहुत ही सरल षिकायत फार्म षिकायतकर्ता द्वारा भरने के लिए प्रत्येक परियोजना स्थल पर उपलब्ध होगा। इसके अलावा षिकायत पेटी को शहरी स्थानीय निकाय कार्यालय, पीआईयू कार्यालय एवं संवेदक षिविर स्थल/कार्यालय में रखा जाएगा। पीआईयू और संवेदक कार्यालय में एक व्यक्ति को सभी षिकायतों को (मौखिक या लिखित) प्राप्त करने के लिए षिकायत अधिकारी के रूप में नामित किया जाएगा जो इस तरह की षिकायतों को अभिलेखित कर उस पर कार्रवाई के लिए जिम्मेवार होगा। यह षिकायत अधिकारी अषिक्षित षिकायतकर्ताओं के मामले में षिकायत फार्म को भरने में सहायता करेगा। एआरएपी कार्यान्वयन में लगे गैर–सरकारी संगठन जो एक समन्वयक की भूमिका में कार्य करेंगे, जिन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी तरह के षिकायतें, सुझाावें; मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों एवं परियोजना प्रभावित लोगों (PAP) एवं PIU प्रमुख के संज्ञान में हो।

27. **राज्य स्तर पर पंजीकरण संबंधी षिकायतों/सुझावों हेतु संपर्क का पता निम्नवत हैः**

शिकायत निपटारा कोषांग

झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको लि0)

तृतीय तल, प्रगति सदन, कचहरी चौक

राँची–834001, झारखण्ड

फोन न0–6512243203

ई–मेलः

28. जीआरसी समुदाय स्तर पर मामले को हल करने का प्रयत्न करेगी जिस पर आम तौर पर 7–10 कार्य दिवसों के अन्दर संस्तुति दे दी जाएगी। यदि 10 दिनों के बाद कोई निर्णय नहीं होता है, तो पीएपी या कोई अन्य पीड़ित व्यक्ति षिकायत को उप–परियोजना निदेषक (जुडको, विष्व बैंक पीएमयू) को भेज सकता है। उप–परियोजना निदेषक (जुडको, विष्व बैंक पीएमयू) एक अपील समिति की अध्यक्षता करेंगे, जो 20 दिनों के अन्दर षिकायत की जांच कर इसे बतायेंगे। यह माना जाता है कि कुछ षिकायतों को उनकी जटिलता के कारण हल करने में अधिक समय लग सकता है, उदाहरण के लिए, भूमि विवाद से संबंधित मामलों में। उस तरह के परिस्थिति में पीड़ित पक्ष को 20 दिनों के भीतर कारणों और अगली कार्रवाइयों के साथ देरी की संभावना को सूचित किया जाएगा, सभी प्रस्तुत षिकायतों को उप–परियोजना स्तर पर पंजीकृत किया जाएगा और जुडको–जेएमडीपी पीआईयू के डेटाबेस में जोड़ा जाएगा, जिसे प्राधिकृत JUIDCO-JMDP कर्मियों द्वारा नियमित रूप से निगरानी की जाएगी। उपर्युक्त बताए गए प्रणाली के अलावा, अनुसूचित जनजाति और वनवासियों को देष के जिला आयुक्त एवं न्यायपालिका के पास जाने का अधिकार है।

8. पुर्नस्थापन प्रभाव को संबोधित करने हेतु संस्थागत व्यवस्थाएं

29. इस परियोजना में राँची एवं संबंधित निकायों में टीम का गठन होगा जो अपने उप–परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रबंधन, समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे।

30. रांची में जुडको स्थित राज्य स्तरीय पीएमयू सामाजिक सुरक्षा उपायों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीएमयू प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित विकेन्द्रीकृत टीमों द्वारा समर्थित होगा एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर पीआईयू संबंधित उप–परियोजनाओं के दिन–प्रतिदिन के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। परियोजना के सभी संबंधित सुरक्षा उपायों के समन्वय, समीक्षा, समर्थन और निगरानी के लिए पीएमयू और पीआईयू द्वारा सामाजिक एवं पर्यावरण विषेषज्ञों को नियुक्त किया जायेगा। पीएमयू विषेषज्ञ पीआईयू और अन्य कार्यान्वयन संस्थाओं में विषेषज्ञों को प्रषिक्षित एवं क्षमताओं को सुदृढ़ करेंगे।

यह परियोजना एआरएपी के कार्यान्वयन एवं खूँटी जल आपूर्ति परियोजना के तहत अन्य सामाजिक गतिषीलता/आईईसी गतिविधियों के लिए योग्य नागरिक समाज संगठनों को नियुक्त करेगा।

9. अनुश्रवण एवं प्रतिवेदन व्यवस्थाएं

31. समवर्ती आंतरिक निगरानी, पीआईयू कार्यान्वयन एजेंसिया, डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्षदाताओं द्वारा नियमित निगरानी के हिस्से के रूप में किया जाएगा। खूँटी पीआईयू एआरएपी कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करेगा। पीआईयू एआरएपी कार्यान्वयन पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन पीएमयू को प्रस्तुत करेंगे। पीएमयू, अपने सामाजिक विषेषज्ञ की मदद से उप–परियोजनाओं की निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेगा। पीएमयू आगे विष्व बैंक को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

32. अन्य उप–परियोजनाओं के लिए आरएपी के साथ एआरएपी कार्यान्वयन का एक वाह्य मूल्यांकन, विषेष रूप से इस उद्देष्य के लिए नियुक्त एक अंकेक्षण परामर्षी के माध्यम से किया जाएगा। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर संबंधित विभागों और अन्य हितधारकों के साथ हितधारक परामर्ष कार्यषालाएं त्रैमासिक आयोजित की जाएगी जिसमें इस उप–परियोजना के कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाली पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर उनकी प्रतिक्रिया एकत्र किया जा सके।

10. कार्यान्वयन अनुसूची

33. एक बार कर्यान्वयन शुरू हो जाने पर, एनजीओ/एआरएपी कार्यान्वयन परामर्षदाता प्रभावित लोगों के साथ मिलकर सभी आवष्यक जानकारी एकत्रित कर इन्हें सत्यापित करते हुए हकदारी हेतु मदद प्रदान करेंगे। कार्यान्वयन के दौरान Design Review Built contractor प्रभाव के गलियारे में परिवर्तन के लिए कुछ डिजाइन परिवर्तन का प्रस्ताव कर सकता है। पीएआईपी सूची को अपडेट करने और अतिरिक्त पीएपी के जनगणना सर्वेक्षण करने के लिए पीआईयू सामाजिक विषेषज्ञ, एनजीओ एवं संवेदकों द्वारा पीएपी के संयुक्त सत्यापन की आवष्यकता होगी, यदि कोई हो।

34. निर्माण–कार्य के दौरान डिजाइन में हुए किसी भी बदलाव से इस उप–परियोजना के एस 2 से एस 1 श्रेणी में काफी प्रभाव पड़ने की स्थिति में एक पूर्ण आरएपी तैयार किया जाएगा जिसकी स्वीकृती विष्व बैंक से ली जाएगी एवं ईएसएमएफ के दिषा–निर्देष के अनुरूप इसे अनावृत किया जाएगा।

35. निर्माण कार्यों के प्रारंभ होने से पहले पीएपी के बीच सभी तरह की सहायता का वितरण किया जायेगा एवं अन्य तरह के लाभ जैसे प्रषिक्षण आदि निर्माण गतिविधियों के समानांतर लागू किए जाएंगे।

36. इस परियोजना में राँची एवं संबंधित निकायों में टीम का गठन होगा जो अपने उप–परियोजनाओं के निष्पादन हेतु प्रबंधन, समनवय और निगरानी के लिए उत्तरदायी होंगे।

37. रांची में जुडको स्थित राज्य-स्तरीय पीएमयू सामाजिक सुरक्षा उपायों को संबोधित करने के लिए उत्तरदायी होगा। पीएमयू प्रतिस्पर्धात्मक रूप से चयनित विकेन्द्रीकृत टीमों द्वारा समर्थित होगा एवं शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर पीआईयू संबंधित उप–परियोजनाओं के दिन–प्रतिदिन के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे। परियोजना के सभी संबंधित सुरक्षा उपायों समन्वय, समीक्षा, समर्थन और निगरानी के लिए पीएमयू और पीआईयू और अन्य कार्यान्वयन संस्थाओं में विषेषज्ञों की क्षमताओं को प्रषिक्षित और मजबूत करेंगे।

11. अनुश्रवण/निगरानी एवं प्रतिवेदन

38. समवर्ती आंतरिक पर्यावरण सामाजिक अनुश्रवण पीआईयू, कार्यान्वयन एजेंसियों, डिजाइन एवं पर्यवेक्षण परामर्षदाताओं के द्वारा नियमित निगरानी के हिस्से के रूप में किया जाएगा। संबंधित पीआईयू सभी उप–परियोजनाओं के आरएपी कार्यान्वयन की नियमित निगरानी करेंगे। पीआईयू, आरएपी के कार्यान्वयन पर मासिक प्रगति प्रतिवेदन पीएम्यू को प्रस्तुत करेंगे। पीएमयू, अपने सामाजिक विषेषज्ञ की मदद से उप–परियोजनाओं की निगरानी के लिए सुरक्षा उपायों का अनुपालन करेगा। पीएमयू आगे विष्व बैंक को त्रैमासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

39. उप–परियोजनाओं के लिए पुर्नस्थापन कार्य योजना कार्यान्वयन का बाह्य मूलयांकन इस उददेष्य के लिए विषेष रूप से नियुक्त एक अंकेक्षण परामर्षी के माध्यम से किया जाएगा एवं कार्यान्वयन के दौरान बिरहू गाँव तथा शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर अन्य हितधारकों एवं भाग लेने वाले विभागों के साथ हितधारक परामर्ष कार्यषाला का आयोजन तीन माह में एक बार आयोजित किये जायेंगे जिससे उप–परियोजना के क्रियान्वयन के समय पर्यावरण एवं सामाजिक मुददों पर फीडबैक प्राप्त की जा सके ।